दिनांक 21.09.2016 को कृषि विभाग के सभा कक्ष में प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित राज्यस्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः— पंजी में संधारित।

1. कृषि निदेशक, बिहार द्वारा सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।
2. डीजल अनुदान

2.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि डीजल अनुदान वितरण की स्थिति कुछ जिलों में ब्रेहतर है जबकि कुछ जिलों में स्थिति बहुत दयनीय है। दरभंगा, मधुबनी, बेगुसराय, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया एवं मधेपुरा में डीजल अनुदान का वितरण अभी तक नहीं हुआ है। जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा, पूर्णिया, सुपौल एवं लखीसराय द्वारा बताया गया कि उनके जिला में डीजल अनुदान का विपत्र कोषागार में भेजा गया है। सूचित किया गया कि डीजल अनुदान हेतु सब्जी एवं अन्य फसलों को भी शामिल कर लिया गया है। यदि कोई किसान आवेदन देता है तो उसका सत्यापन कर डीजल अनुदान देने की कार्रवाई की जाय तथा डी0सी0 विपत्र पर ही राशि की निकासी की जाय।

2.2 सूचित किया गया कि अकाशवाणी एवं रेडियोमिर्ची पर डीजल अनुदान के संबंध में प्रचार--प्रसार करने की कार्रवाई की जा रही है।

(अनु0— कंडिका 2.1 एवं 2.2 सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

3. बीज

3.1 उप निदेशक (शष्य) बीज, बिहार, पटना द्वारा जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2016--17 में मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम, एकीकृत बीज ग्राम योजना एवं मिनीकिट बीज वितरण योजना अन्तर्गत अभी तक मात्र 5 जिलों यथा रोहतास, अरवल, नवादा, पूर्णियां एवं पूर्वी चम्पारण में राशि की निकासी की गयी है। शेष जिलों में अभी तक राशि की निकासी नहीं हुई है। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि दिनांक 30.09.2016 तक राशि की निकासी कर संबंधित को भुगतान करना सुनिश्चित किया जाय। दिनांक 30.09.2016 तक निकासी एवं भुगतान नहीं करने वाले जिला कृषि पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा जाय।

(अनु0— सभी जिला कृषि पदाधिकारी एवं उप निदेशक, शष्य बीज)

3.2 निदेश दिया गया कि रबी में संचालित होने वाली योजना " प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु आधार बीज पर अनुदान की योजना" अन्तर्गत इच्छुक किसानों को Krishimis पर दिनांक 25.09.2016 तक निश्चित रूप से पंजीकरण करवा लिया जाय।

3.3 रबी की तैयारी हेतु सर्वप्रथम दलहनी फसलों के बीज की आवश्यकता का आकलन कर बीज आपूर्तिकर्ता कम्पनियों / निगमों यथा NSC, HIL आदि से अपने डीलरों के माध्यम से बीज का आरक्षण कराना सुनिश्चित किया जाय।

3.4 निदेश दिया गया कि बीज योजना से संबंधित सभी प्रतिवेदन Google doc पर नियमित रूप से अद्यतन किया जाय।

(अनु0—3.2 से 3.4 सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

4. मिट्टी नमूना एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड :—

4.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अवशेष मिट्टी नमूना संग्रह का लक्ष्य अधिकांश जिलों में बहुत अधिक है। औरंगाबाद, भोजपुर, नालन्दा, कैमूर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण एवं पूर्णिया में मिट्टी नमूना संग्रह का बहुत अधिक लक्ष्य अवशेष है। अभियान चलाकर एवं अवशेष लक्ष्य के अनुसार मानव बल लगाकर अभी से ही प्रतिदिन मिट्टी नमूना संग्रह कराने का निदेश दिया गया।

4.2 मिट्टी नमूना संग्रह के उपरान्त मिट्टी जॉच प्रयोगशाला में प्राप्त नमूना की स्थिति औरंगाबाद बेगूसराय, बांका, भागलपुर, दरभंगा एवं गया में दयनीय पाया गया। कुछ जिलों में ग्रीड के अन्दर किसानों के पंजीकरण का औसत बहुत कम है। निदेश दिया गया कि ग्रीड के अन्दर आने वाले सभी कृषकों का पंजीकरण किया जाय। प्रति ग्रीड़ पंजीकरण का औसत कटिहार, मधुबनी, नालन्दा, जलानाबाद, लखीसराय, पटना, रोहतास, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, सहरसा, सारण, सिवान, सीतामढ़ी, सुपौल एवं खगड़िया में बहुत कम है।

4.3 निदेश दिया गया कि पर्याप्त मात्रा में मिट्टी नमूना संग्रहक को लगाकर मिशन मोड में मिट्टी नमूना एकत्रित किया जाय तथा दो सिफ्टों में सभी नमूना को जॉच कर प्रतिमाह कैम्प आयोजित कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषकों को वितरित किया जाय एवं कार्ड का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा, इसकी जानकारी कार्ड वितरण के समय कृषकों को देना सुनिश्चित किया जाय। इस योजना की निगरानी प्रधानमंत्री कार्यालय से हो रही है। इसका प्रतिवेदन प्रतिदिन ई–मेल द्वारा उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0– 4.1 से 4.3– सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

4.4 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के उपरान्त क्षेत्रवार/ग्रीडवार इसके ऑकड़े का विश्लेषण करने तथा आ रहे Major Differences पर कार्य योजना तैयार करने का निदेश दिया गया।

(अनु0– संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जॉच प्रयोगशाला)

4.5 एम0एस0टी0एल0 वैन को चालू कर उसमें माइक्रोन्युट्रियन्ट की जॉच करने तथा उसके रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2009–10 में उपलब्ध कराया गया 1 लाख रू0 से शेड का निर्माण कराने का निदेश दिया गया। सभी संयुक्त निदेशक (शष्य) को इसकी समीक्षा करने एवं अगली बैठक के पूर्व शेड का निर्माण करवाने का निदेश दिया गया।

(अनु0– संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संयुक्त निदेशक (शष्य))

4.6 सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से मिट्टी जॉच प्रयोगशाला की जॉच करने एवं विहित प्रपत्र में जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

4.7 प्रतिमाह मृदा स्वास्थ्य कार्ड से लाभान्वित होने वाले कृषकों के विषय में एक सफलता की कहानी भेजने का निदेश सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को दिया गया।

(अनु0– कंडिका 4.6 से 4.7 सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

4.8 भारत सरकार द्वारा मांग की गयी है। वामपंथ प्रभावित जिलों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के प्रभाव का प्रतिवेदन जमुई से अभी तक अप्राप्त है। इसे अविलम्ब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0– जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई)

5. <u>ई–किसान भवन</u>

5.1 सूचित किया गया कि ई–किसान भवनों की जाँच हेतु जॉच दल गठन के संबंध में प्रतिवेदन भोजपुर, नवादा, गोपालगंज, दरभंगा, खगड़िया, अररिया, कटिहार एवं जमुई से अप्राप्त है। जिला कृषि पदाधिकारी नवादा, गोपालगंज एवं समस्तीपुर द्वारा सूचित किया गया कि उनके जिला में जॉच दल का गठन हो गया है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

5.2 ई–किसान भवन के गुणवत्ता संबंधी अंकेक्षण आपत्ति का अनुपालन प्रतिवेदन नालन्दा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, नवादा, अरवल, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, शेखपुरा, भागलपुर एवं बांका से अभी तक अप्राप्त है। इसका अनुपालन प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। सूचित किया गया कि माह अक्टूबर, 2016 में आयोजित होने वाली लोक लेखा समिति की बैठक में इसकी समीक्षा की जाएगी।

5.3 निदेश दिया गया कि ई–किसान भवन के निर्माण हेतु जिन जिलों/प्रखंडों में जमीन उपलब्ध हो गया है, उसकी सूचना अविलम्ब उपलब्ध कराई जाय।

(अनु0– कंडिका 5.1 से 5.3 संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

6. कृषि यांत्रिकीकरण :–

6.1 सूचित किया गया कि सभी जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा गत वर्ष 2015–16 में कृषकों को कृषि यंत्र हेतु निर्गत किये गये स्वीकृति पत्र का इस वर्ष 2016–17 में Carry Forward कर लिया गया है। लेकिन इसके विरूद्ध इस वर्ष Permit निर्गत करने की स्थिति अधिकांश जिलों में दयनीय है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब Permit निर्गत कर कृषकों को उपलब्ध करा दिया जाय, ताकि कृषक अपनी इच्छानुसार यंत्र क्रय कर सकें। वर्ष 2016–17 हेतु दिनांक–22.09.2016 से कृषि यांत्रिकरण के Software को खोला जा रहा है। इस अवधि में पूरे राज्य में नया आवेदन पत्र Online प्राप्त किया जायेगा।

6.2 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में कृषि यंत्र विक्रेताओं के नवीकरण एवं नया रजिस्ट्रेशन की स्थिति अधिकांश जिलों में संतोषजनक नहीं है। निदेश दिया गया कि सभी जिलों में कृषि यंत्र डीलरों की बैठक बुला कर हार्ड कॉपी का सत्यापन कर Software में अपडेट कर लिया जाय।

6.3 निदेश दिया गया कि जिला में सभी कृषि यंत्र विक्रेताओं द्वारा कृषकों को ससमय After Sale Service की सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाय तथा साथ ही चाईनीज कृषि यंत्रों के बारे में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर से प्राप्त Study Report में अनुशंसित बिन्दुओं का अनुपालन जिला में रजिस्टर्ड सभी कृषि यंत्र विक्रेताओं से सुनिश्चित कराया जाय।

6.4 वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत SMAM योजना अन्तर्गत कस्टम हायरिंग हेतु कृषि यंत्र बैंक की स्थापना का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन Google Docs पर दिनांक–30.09.2016 तक अपलोड करने का निदेश सभी जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया, क्योंकि भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजने के उपरान्त ही वर्ष 2016–17 की राशि भारत सरकार द्वारा विमुक्त की जायेगी। वर्ष 2015–16 में Flexi Fund हेतु उपलब्ध कराई गई राशि को अविलम्ब व्यय करने का निदेश दिया गया।

6.5 वैसे कृषि यंत्रों जिनका गत वर्ष स्वीकृति पत्र निर्गत किया गया तथा इसके आधार पर कृषकों द्वारा यंत्र का क्रय कर लिया गया, परंतु उन्हें अनुदान का भुगतान नहीं हो सका, इसके संबंध में प्रधान सचिव, कृषि द्वारा निदेश दिया गया कि ऐसे जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा ट्रैक्टर को छोड़ कर शेष कृषि यंत्रों का रा०कृ०वि०यो० अन्तर्गत जिला में उपलब्ध राशि से अनुदान का भुगतान किया जाय।

6.6 बैठक में निर्णय लिया गया कि कृषि यंत्र अनुदान पर क्रय करने हेतु जिन कृषकों को गत वर्ष परमीट निर्गत हो गया था, परंतु वे यंत्र क्रय नहीं कर पाये थे वे इस वर्ष पुनः नया आवेदन पत्र Online जमा करेंगे। वैस आवेदन पत्र जिनका गत वर्ष परमीट निर्गत नहीं हुआ था, उन्हीं आवेदन पत्रों को ही इस वर्ष Carry forward कर परमीट निर्गत किया जायेगा।

(अनु0–कंडिका 6.1 से 6.6–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

6.7 निदेश दिया गया कि जिलों में आयोजित होने वाला कृषि यांत्रिकरण मेला दशहरा पर्व के बाद दिनांक–18.10.2016 से प्रारंभ किया जाय तथा इसका विज्ञापन भी प्रकाशित कराया जाय।

(अनु0– राज्य नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकीकरण)

7. कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार के कार्यो की समीक्षा:–

7.1 उद्यान निदेशालय के समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि सभी जिला कृषि पदाधिकारी अपने स्तर से आदेश निर्गत करेंगे कि सभी कृषि समन्वयक अपने क्षेत्र में कृषि